

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME

सीजीएचएस कार्ड के नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र (सेवारत कर्मचारी)

Application Form for renewal of CGHS card (serving employees)

1. आवेदक का नाम : सीजीएचएस कार्ड नं. :
Name of the Applicant : CGHS Card No. :
2. विभाग/कार्यालय का नाम :
Name of the Department/Office :
3. वेतन बैंड : वेतन बैंड में वेतन (ग्रेड वेतन को छोड़कर): ग्रेड पे :
Pay Band : Pay in Pay band (excluding Grade Pay): Grade Pay :
4. पदनाम : वार्ड पात्रता : संपर्क नं.:
Designation : Ward Entitlement : Contact No. :
5. आवासीय पता :
Residential Address :
6. परिवार का विवरण :
Details of Family :

फोटो / Photo				
नाम / Name				
संबंध / Relationship				
जन्म तिथि / D.O.B.				
फोटो / Photo				

नाम / Name				
संबंध / Relationship				
जन्म तिथि / D.O.B.				

घोषणा / DECLARATION

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए कथन सत्य हैं तथा परिवार के विवरण में शामिल व्यक्ति पूर्णतः मुझ पर आश्रित हैं तथा कोई भी जानकारी छिपाई या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं की गई है तथा मैं उस पर कायम हूँ।

I hereby declare that the statements made above are true and that the persons included in the details of family are wholly dependent on me and that no information has been concealed or has been misrepresented and I stand by the same.

दिनांक:

सीजीएचएस कार्ड धारक के हस्ताक्षर

Dated:

Signature of CGHS card holder

कार्यालय उपयोगार्थ / FOR OFFICE USE

आवेदक द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन किया गया है तथा उसे सही पाया गया है तथा आवेदक के वेतन से हर माह सीजीएचएस अंशदान की कटौती की जा रही है। / The information furnished by the applicant has been verified and found to be correct and CGHS subscriptions are being deducted every month from the salary of the applicant.

प्रायोजक प्राधिकरण/कार्यालय का नाम

हस्ताक्षर (मुहर सहित)

Name of the Sponsoring authority/Office

Signature (with Seal)

टेलीफोन नं./ Tel No.

दिनांक / Dated:

महत्वपूर्ण / IMPORTANT

- आवेदन-पत्र के साथ पुराने सीजीएचएस कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी।
Self attested photocopy of old CGHS cards should be attached with the application form.
- परिवार का विवरण भरने से पहले सीजीएचएस के अंतर्गत परिवार की परिभाषा को देखा जाना चाहिए।
Definition of family under CGHS should be referred to prior to filling the details of family.
- विकलांग पुत्र/भाई के लिए, पुत्र/आश्रित भाई की आयु का प्रमाण-पत्र तथा विकलांगता प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
For disabled son/brother, proof of age of son/dependent brother along with the disability certificate should be enclosed.
- वर्तमान वेतन पर्ची की प्रति, निवास का पता प्रमाण/शपथ-पत्र (पते में परिवर्तन के मामले में) संलग्न किया जाना चाहिए।
A copy of the current pay slip, and address proof of residence / affidavit (in case of change in address) should be attached.